



संदर्भ सं. राबै. पुनर्वित्त(चीनी कक्ष) / 1946 /Ethanol - 1/2019-20

03 अक्टूबर 2019

परिपत्र सं. 276 /डोर- 76 /2019

अध्यक्ष

The Chairman

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

All Scheduled Commercial Banks

सभी राज्य सहकारी बैंक

All State Cooperative Banks

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

All Regional Rural Banks

सभी शहरी सहकारी बैंक

All Urban Cooperative Banks

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

National Cooperative Development Corporation

प्रिय महोदय

इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और संवर्द्धन के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना

**Scheme for extending Financial Assistance to Sugar Mills for Enhancement and Augmentation of Ethanol Production Capacity**

कृपया 12 अक्टूबर 2018 के हमारे परिपत्र संख्या 263/ पुनर्वित्त 67/ 2018 का संदर्भ लें जिसके माध्यम से हमने इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और संवर्द्धन के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के परिचालन दिशानिर्देश आपको भेजे थे।

2. उक्त दिशा-निर्देशों के पैरा 6 (i) के अनुसार, ऋण राशि पर ब्याज सहायता 5 वर्ष तक सीमित रहेगा, जिसमें एक वर्ष की मोहलत (Moratorium) भी शामिल है। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी दिए गए प्रस्ताव के लिए

Please refer to our Circular No. 263/DoR-67/2018 dated 12 October 2018, forwarding the operational guidelines for the 'Scheme for extending Financial Assistance to Sugar Mills for Enhancement and Augmentation of Ethanol Production Capacity'.

2. As per para 6(i) of the said guidelines, interest subvention on loan amount will be limited to 5 years, including one year moratorium period. It is further clarified that the period of 5 years is to be reckoned from the date of disbursement of first

**राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक**

**National Bank for Agriculture and Rural Development**

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट नं. सी-24, जी ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. • टेलि : 022 2652 4926 • फैक्स : 022 2653 0090 • ई-मेल : dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. • Tel. 022 2652 4926 • Fax : 022 2653 0090 • E-mail : cvc@nabard.org



<p>ऋण की पहली किस्त के संवितरण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि की गणना की जानी है और ब्याज सहायता केवल पहली किस्त के संवितरण के दिन से प्रतिपूर्ति ऋण की 5 साल की अवधि के लिए उपलब्ध होगा।</p> <p>3. आपसे अनुरोध है कि अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी शाखाओं / नियंत्रक कार्यालयों / जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की जानकारी में उपरोक्त स्पष्टीकरण लाएँ।</p>	<p>instalment of loan for a given proposal and the interest subvention shall be available for a period of 5 years only, reckoned from the day of disbursement of first instalment of loan.</p> <p>3. You are requested to bring the above clarification to the notice of all the branches/Controlling Offices/DCCBs under your jurisdiction.</p>
---	--

भवदीय



(राजीव महाजन )

महाप्रबन्धक